UPMP010025182026

न्यायालय ADJ I, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Sri Achchhe Lal Saroj), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06134**

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 839/2026

संतोष कुमार उर्फ गाण्डी पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम बाग बधिक थाना सहपऊ जिला हाथरस।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य .....विपक्षी/वादी

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ गाण्डी की ओर से अपराध सं० 310/2025 अंतर्गत धारा 305(a), 331(4), 317(2), 61(2) बी.एन.एस थाना औंछा जिला मैनपुरी के अपराध में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मनोज कुमार वर्मा पुत्र रामस्वरूप वर्मा कस्बा व थाना ओंछा जिला मैनपुरी द्वारा थाना हाजा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि, "दिनांक 14/15–12–2025 की रात्रि समय लगभग 1 बजे मेरी (देव ज्वैलर्स) दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा सटर काटकर सोने व चाँदी के रखे आभूषणों की अलमारी को चोरों द्वारा चुरा ले गये उक्त अलमारी में 200 ग्राम सोने के आभूषण जिन पर मोहर P.S, B.L.S, S.B J, N.B, A.K, 20 कैरेट की मुहर व 15 से 20 किलो चाँदी के आभूषण जिन पर L.A, XM170, LNS, JD, YASH70, KL91, शिवम 100 मोहर के अलमारी व सोने व चांदी सहित चोरों द्वारा दुकान से निकालकर चुरा ले गये व विपिन गुप्ता पुत्र राजवीर गुप्ता निवासी कस्बा व थाना औंछा जनपद मैनपुरी की दुकान श्री सांई ज्वैलर्स जसराना रोड औंछा से दुकान का सटर काटकर दुकान में रखी तिजौरी तोड़कर अलमारी में रखे सोने व चाँदी के आभूषण जो सोने का वजन लगभग 120 ग्राम जिन पर मुहर GR, RB है तथा चाँदी के आभूषण जिन का वजह लगभग 12 किलोग्राम मुहर A.K 70, राजा, HR70, राघव OM व नकद 2,50,000/– रूपए जो अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर

लिये गये आभूषण की सूची वाद में अवगत करा देंगे। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी"।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये तर्क दिया गया है उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है, प्रार्थी कतई निर्दोष है। वह काफी समय से अपनी पत्नी बच्चो के साथ गुजरात में मेहनत मजदूरी करता है तथा दिनांकः 14/15.12.2025 को भी गुजरात में ही था। उक्त घटना के बावत् उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वह नामदर्ज नहीं है। गॉव के सह–अभियुक्त गण द्वारा उसका नाम लेने पर उसका नाम प्रकाश में आया है। जिस देव ज्वेलर्स एवं सांई ज्वेलर्स की दुकानों का सटर काटकर चोरी करना बताया है, जहाँ सी०सी० टी०वी० कैमरे लगे हैं, लेकिन वहां उसका कहीं फोटो चित्र नहीं आया है, और ना ही सटर काटने की किसी ने आवाज सुनी है न विवेचक द्वारा बताया गया कि सटर किससे काटा गया है। वह मौके से नहीं पकड़ा गया है, और ना ही किसी प्रकार का सोने, चॉदी के आभूषण व रूपया बरामद हुआ और ना ही उसने चोरी की है। उसको उपरोक्त मुकदमें में बांछित होने की जैसे ही सूचना मिली, वैसे ही उसने लोअर कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया। अन्य सह–अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह व मोनू उर्फ मानवेन्द्र की जमानत दिनांकः 08.05.2026 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। उक्त घटना का कोई स्वतन्त्र व चश्मदीद गवाह नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसपर लगाया गया जुर्म काबिल जमानत है। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी बिलम्ब से तथा सोच समझ कर दर्ज करायी गयी है। दिनांक 15.05.2026 से जिला कारागार मैनपुरी में निरूद्ध है। वह अपनी स्थानीय व उचित जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त प्रकरण की घटना को योजनाबद्ध तरीके से रैकी करते हुये अंजाम दिया गया है। प्रकरण के अन्य सह अभियुक्तगण के कथनों के आधार पर अभियुक्त की घटना में संलिप्तता पायी गयी है जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा उसके द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अत: अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5– जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता व विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

केस डायरी/अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वादी

मुकदमा ने थाना हाजा पर घटना दिनांक 14/15–12–2025 की रात्रि समय लगभग 1 बजे की बताते हुये अपनी (देव ज्वैलर्स) दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा सटर काटकर सोने व चाँदी के रखे आभूषणों की अलमारी को चोरी करने तथा उक्त अलमारी में 200 ग्राम सोने के आभूषण जिन पर मोहर P.S, B.L.S, S.B J, N.B, A.K, 20 कैरेट की मुहर व 15 से 20 किलो चाँदी के आभूषण जिन पर L.A, XM170, LNS, JD, YASH70, KL91, शिवम 100 मोहर के अलमारी व सोने व चांदी सहित विपिन गुप्ता की दुकान श्री सांई ज्वैलर्स से तिजौरी तोड़कर अलमारी में रखे सोने व चाँदी के आभूषण जो सोने का वजन लगभग 120 ग्राम जिन पर मुहर GR, RB है तथा चाँदी के आभूषण जिन का वजह लगभग 12 किलोग्राम मुहर A.K 70, राजा, HR70, राघव OM व नकद 2,50,000/– रूपए की चोरी करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त के अन्य साथी सुरेश को पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 19.03.2026 को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से उसकी पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से घटना से संबंधित दस हजार एक सौ रूपये जिसमें पांच सौ के बीस, सौ का एक नोट बरामद होना बताया गया है तथा उससे हुयी कथित बरामदगी व उसके ईकबालिया बयान के आधार पर अभियुक्त संतोष उर्फ गाण्डी को आरोपी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के अन्य सह अभियुक्तगण मोनू उर्फ मानवेन्द्र व राजेन्द्र सिंह को भिन्न–भिन्न तिथियों पर गिरफ्तार किया गया है तथा उनसे हुयी बरामदगी व उनके इकबालिया बयान के आधार पर भी अभियुक्त संतोष उर्फ गाण्डी का नाम प्रकाश में आना बताया गया है। सह अभियुक्तगण मोनू उर्फ मानवेन्द्र व राजेन्द्र की जमानत पूर्व में न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी तथा सुरेश की जमानत न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी एक्ट) के यहां से निरस्त की जा चुकी है। अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ गाण्डी के विरूद्ध मफरूरी में आरोप पत्र प्रेषित होना बताया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियो तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध/ उसकी प्रकृति व अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी / अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ गाण्डी को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता।

तद् नुसार प्रार्थी/अभियुक्त **संतोष कुमार उर्फ गाण्डी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 24.06.2026

स्टैनो–– अमित कुमार

(अच्छे लाल सरोज)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट संख्या. 01, जनपद मैनपुरी।

ACHCHHE LAL SAROJ

Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.06.24 13:47:00 +0530